

प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021
शिविर स्थल :- गोलिया

न्यायालय शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाडमेर)

क्रमांक/राजस्व/PGKS/2021/11370

दिनांक:- 24.12.2021

प्रार्थनी:-

शांताकंवर पत्नी श्री कल्याणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भाडूकलां तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी अर्जियाणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
बनाम

विप्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं...171/2021

दिनांक :- 27.12.21

—: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम अर्जियाणा पटवार मण्डल देवन्दी तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 426/250 रकबा 1.3678 हैक्टर किस्म रेतली भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(कुसुमलता चौहान)

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021

दिनांक:- 24.12.2021

क्रमांक/राजस्व/PGKS/2021/11371-74

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी देवन्दी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्रीमती शांताकंवर पत्नी श्री कल्याणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भाडूकलां तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी अर्जियाणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021